

## Food Safety & Standards Authority of India

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

A Statutory Authority under FSS Act, 2006 (एफ एस एस अधिनियम, 2006 के अधीन एक सांविधिक प्राधिकरण)

1st Floor, NBCC place,

Bhism Pitamah Marg, Pragati Vihar , New Delhi- 110003 (Above office of Resident commissioner of Uttar Pradesh)

Contact No. 011-24369456

प्रथम तल, एन बी सी सी प्लेस, भिष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, नई दिल्ली-110003 (उत्तर प्रदेश के आवासीय आयुक्त के कार्यालय से ऊपर) संपर्क नंबर -011-24369456

Dated/दिनांक: 08/05/2020

WESTERN DRUGS LIMITED

Plot No.: F-271-A, MEWAR INDUSTRIAL AREA,(MIA) MADRI, UDAIPUR, RAJASTHAN-313003, INDIA, Udaipur

(Rajasthan), 313003

**Subject:** Grant of License (Renewal) **विषयः** लाइसेंस (नवीकरण) प्रदान करना

Sir, महोदय,

Please refer to your Application ID CLS20050000391049 dated 08/05/2020 regarding grant of Renewed license under FSS Act, 2006. The Renewed license for the above mentioned application is granted as per the details given below:

कृपया आप एफ एस एस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नवीकरण लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में अपने आवेदन CLS20050000391049 दिनांक 08/05/2020 का संदर्भ देखें। उपर्युक्त उल्लिखित आवेदन के लिए नवीकरण लाइसेंस नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रदान किया जाता है:

License Number/लाइसेंस सख्या	Category of License/लाइसेंस की श्रप्री	Date of Grant/प्रदान करनाकी तारीख	Validity/विधिमान्यता
10015013000895	Central	17/03/2020	16/03/2025

The License is granted under and is subject to the provisions of Food Safety & Standards Act 2006, and Food Safety & Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulation, 2011.

लाइसेंस खाद्य सष्टक्षा एवटमानक अधिनियम 2006 तथा खाद्य सष्टक्षा एवटमानक (खाद्य व्यवसायियोक्को लाइसेंस दम्रात्मथा पात्रीकरण) विनियम, 2011 का अधीन एवट्सका धार्तिभी प्रदान किया जाता है।

The license should be kept in safe custody within the authorized premises and should be made available as and when required by licensing authority or their officials. A true copy of the license shall be displayed at a prominent place at all times within the authorized premises where the food business is carried out. The application for renewal of license must be made in the specified format not later than 30 days prior to the expiry of validity mentioned above, after which Rs.100 per day will be charged up to the date of expiry. After expiry a fresh online application for grant of a new license will be required.

लाइसेंस को प्राधिकृत परिसर में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए तथा आवश्यकता पड़नापर लाइसेंस प्राधिकारी या उनका अधिकारियोद्धारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लाइसेंस की सही प्रति को प्राधिकृत परिसर, जहाद्खाद्य व्यवसाय किया जाता है का अवर्गत प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। लाइसेंस का नवीकरण ह्यु आवद्यन उपर्युक्त उल्लिखित विधिमान्यता समाप्त होनाको तारीख सामहलाउ० दिन साअधिक नहीं अविधि में विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में अवश्य किया जाना चाहिए जिसका बाद समाप्ति की तारीख तक 100रू प्रति दिन का हिसाब साम्युल्क लिया जाएगा। समाप्ति का बाद नए सिरामानवीन लाइसेंस द्वादका लिए आँनलाइन आवद्यन करनाको जरूरत होगी।

Please note that your application had been considered on the basis of the documents submitted. The authorized premises shall be inspected for verifications of information provided and to ensure compliance with all relevant provisions of the Act and Regulations. You shall also be responsible to ensure compliance with all acts, norms, regulations etc. pertaining to fire, electricity and electrical equipment, environment etc. as stipulated by the respective state authorities. कृपया यह नोट करें कि आपक्ष आवश्वन पर प्रस्तुत किए गए दस्तावा का आधार पर विचार किया गया था। प्राधिकृत परिसरोक्षा निरीक्षण दी गई सूचना का सत्यापन तथा यह सुनिश्चित करनाका लिए किया जाएगा कि अधिनियम तथा विनियमोक्ष्य सभी प्रासिक उपबाधोक्ता अनुपालन हो रहा है। आप सभी अग्नि, विद्युत तथा विद्युत उपस्कर, पर्यावरण इत्यादि जिसका निर्धरण राज्य प्राधिकारियोद्धारा किया गया है साप्ताह्यित सभी अधिनियमोप्रमानको рविनियमोक्ष्यादि का अनुपालन को सुनिश्चित करनाका लिए भी जिम्मदार होगा

Enclosure: Original License under FSS Act, 2006 अनुलग्नकः- एफ एस एस अधिनियम, 2006 क्यअधीन मूल लाइसेंस Central Licensing Authority काद्रीय लाइसेंस प्राधिकारी Food Safety & Standards Authority of India भारतीय खाद्य साक्ष्मा एवामानक प्राधिकरण

Region name/क्षेत्र का नाम : New Delhi

Email Id/ईमेल आईडी : aodelhi@fssai.gov.in

Phone No/फोन नंबर : 011-24369456